सत्यमेव जयते

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी 2.0

आवेदन पत्रों के लिए ऑनलाइन सबमिशन की मार्गदर्शिका

प्रस्तावना

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को 'सबके लिए आवास' के विज़न को मूर्त रूप देते हुए देष भर के सभी पात्र षहरी परिवारों को सभी मौसमानुकूल पक्के आवास प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना – षहरी (पीएमएवाई–यू) षुरू की गई थी। पिछले कुछ वर्शों में, षहरों के विस्तार से आवासों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। तेजी से हो रहे षहरीकरण और नए षहरों/कस्बों के बनने से भी षहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग लगातार बढ़ रही है। देष भर में ईडब्ल्यूएस,

एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों सहित विभिन्न आय समूहों की 'किफायती आवास' की जरूरतें काफी भिन्न होती हैं। इसलिए, इन सभी श्रेणियों के अपने आवास के सपने को पूरा करने में उनकी सहायता करना आवष्यक है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर घोशणा की थी कि भारत सरकार कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों के अपने आवास के सपने को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना षुरू करेगी।

तत्पष्चात, जून 2024 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवासीय आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और षहरी परिवारों को आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निष्चय किया। केन्द्रीय बजट 2024 में माननीय वित्त मंत्री ने घोशणा की कि पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत अगले 5 वर्शों में 1 करोड़ षहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय आवष्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तदनुसार, 1 करोड़ पात्र षहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना – षहरी 2.0 (पीएमएवाई–यू 2.0) षुरू की गई है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि षहरी भारत के पात्र नागरिक एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें।

पीएमएवाई–यू 2.0 की रूपरेखा को पीएमएवाई–यू योजना से प्राप्त अनुभव, वैष्विक सर्वोत्तम पद्धतियों/बेंचमार्क और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, निजी क्षेत्र इत्यादि सहित अनेक हितधारकों के साथ परामर्ष करके तैयार किया गया है। पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत षहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवष्यकता को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से पूरा किया जाएगाः

i. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)
ii. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)
iii. किफायती किराया आवास (एआरएच)
iv. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

पीएमएवाई–यू 2.0 का कार्यक्षेत्र

षहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' मिषन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना – षहरी 2.0 (पीएमएवाई–यू 2.0) का क्रियान्वयन दिनांक 01.09.2024 से 5 वर्श के लिए किया जाएगा, जिसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किफायती लागत पर आवास के निर्माण, खरीद या किराए के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

इस मिषन को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा, सिवाय ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) घटक के, जिसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। योजना को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगाः

i. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)
ii. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)
iii. किफायती किराया आवास (एआरएच)
iv. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां षामिल होंगी। षहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास (सभी मौसमानुकूल आवासीय इकाई) नहीं होना चाहिए।

यह योजना बुनियादी नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सामाजिक अवसंरचना/सुविधाओं के साथ न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के आवासों के निर्माण में सहायता करेगी। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भारत सरकार की वित्तीय सहायता में किसी भी वृद्धि के बिना, मंत्रालय के परामर्ष से 45 वर्ग मीटर तक के आवासों के आकार और अन्य सुविधाओं का निर्धारण करने की छूट होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजना स्थल तक अपने स्वयं के संसाधनों से बुनियादी ट्रंक अवसंरचना/सुविधाएं प्रदान करेंगे।

परियोजनाओं में पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी नागरिक अवसंरचना/सुविधाएं होगीं। षहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को यह सुनिष्चित करना होगा कि आईएसएस और बीएलसी घटकों के तहत प्रत्येक आवास में इन बुनियादी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एएचपी और एआरएच परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में निम्न के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगेः

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों में उल्लिखित दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुगम्यता सुनिष्चित करने के लिए बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप और अन्य सुविधाओं का आवष्यक प्रावधान।
- जहां कहीं आवष्यक हो, एएचपी परियोजनाओं के स्थल पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।
- वर्शा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था।

- सौर ऊर्जा प्रणाली, विषेश रूप से साझी सुविधाओं की आवष्यकता को पूरा करने के लिए।
- परियोजना स्थल के अंदर पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेकानुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक कट–ऑफ तिथि निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ लेने हेतु पात्र होने के लिए उक्त तिथि तक उस षहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। योजना में भाग लेने और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुलग्नक–1क में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवासन और षहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करके निर्दिश्ट समयसीमा में निर्धारित सुधारों (रिफॉर्म्स) को लागू करने के लिए सहमत होंगे।

इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहीत/खरीदे गए आवास घर की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुश मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होंगे और केवल ऐसे मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास पुरुश सदस्य के नाम पर हो सकता है। ऐसे मामलों में जहां आवेदक एक विधुर, अविवाहित, तलाकषुदा व्यक्ति या ट्रांसजेंडर है, आवास उन्हीं लोगों के नाम पर बनाया जाएगा। लाभार्थी (लाभार्थियों) की मृत्यु के मामले में, लाभार्थी (लाभार्थियों) के कानूनी उत्तराधिकारी को योजना के तहत लाभ मिलेगा।

आवेदक को पीएमएवाई–यू 2.0 का लाभ लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए मिषन अवधि के दौरान अधिग्रहीत/खरीदे गए आवास के पंजीकृत टाइटल डीड/सेल डीड में बाद के चरण में परिवार की महिला सदस्य के नाम को षामिल करने की भी अनुमति दी जाएगी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे मामलों के लिए अतिरिक्त स्टांप षुल्क और/या पंजीकरण षुल्क की छूट का प्रावधान करना होगा।

लाभार्थी से योजना दिषानिर्देषों के अनुलग्नक–2 (क, ख और ग) के अनुसार एक निर्दिश्ट प्रारूप में आय के पात्रता मानदंड को पूरा करने संबंधी घोशणा के रूप में और भारत में कहीं भी उसके नाम पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होने से संबंधित वचन पत्र लिया जाएगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को एएचपी परियोजनाओं में लाभार्थी निवासी संघों जैसे आवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए)/अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएषन (एओए) आदि का गठन सुनिष्चित करना होगा। ये संगठन इस योजना के तहत निर्मित आवासों की सुविधाओं और रखरखाव का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। कार्यान्वयन एजेंसियां भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 (यदि लागू हो) और अन्य लागू राज्य कानूनों का अनुपालन सुनिष्चित करेंगी।

कवरेज

जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक नगरों और बाद में अधिसूचित नगरों तथा अधिसूचित योजना क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विषेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण/षहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई भी प्राधिकरण जिसे षहरी योजना और नियमों के कार्य सौंपे गए हों, के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र को योजना के सभी घटकों के तहत षामिल किया जाएगा।

अधिसूचित योजना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले षहरों/कस्बों और क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विषेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण/षहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र या ऐसा कोई भी प्राधिकरण, जहां पीएमएवाई–यू को लागू किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्र को पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत कवर किया जाता रहेगा। ऐसे षहरों/कस्बों, जो पीएमएवाई–यू का हिस्सा नहीं थे, उन्हें आवासन और षहरी कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से पीएमएवाई–यू 2.0 में षामिल किया जा सकता है।

पात्रता मानदंड

षहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणी से संबंधित परिवार, जिनके पास देष में कहीं भी कोई पक्का आवास नहीं है, पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत आवास खरीदने या बनाने के लिए पात्र हैं। लाभार्थी, पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के घटकों में से केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। वैसे लाभार्थी जिन्हें षहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्शों में केन्द्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और स्थानीय स्वषासन की किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है, वे पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में षहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवास की मांग का सत्यापन करते समय लाभार्थी द्वारा एक वचन–पत्र भी दिया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख रुपये तक की वार्शिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाशित किया गया है। एलआईजी को 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की वार्शिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाशित किया गया है। एमआईजी को 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की वार्शिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाशित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवासन और षहरी कार्य मंत्रालय की सहमति से मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ईडब्ल्यूएस के वार्शिक आय मानदंड को फिर से परिभाशित करने का निर्णय ले सकते हैं।

योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिश्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विष्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी/चॉल के निवासियों और पीएमएवाई–यू 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर विषेश ध्यान दिया जाएगा।

यह सुनिष्चित किया जाएगा कि यदि पिछली आवास योजनाओं के तहत किसी पात्र लाभार्थी के माता–पिता को पक्का आवास प्रदान किया गया है, तो उनके आवदेन पर, ऐसे पात्र परिवारों/लाभार्थियों जिनके माता–पिता ने पिछली आवास योजनाओं का कोई लाभ नहीं उठाया है, को पहले लाभ प्रदान करने के बाद विचार किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी जिनके आवासों की पीएमएवाई–यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुषंसा पर केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा किसी भी कारण से 31.12.2023 के बाद कटौती की गई है, उन्हें पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत आवास स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

लाभार्थी अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) या पीएमएवाई–यू 2.0 में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएमएवाई–यू 2.0 के लिए आवासन और षहरी कार्य मंत्रालय और पीएमएवाई–जी के लिए ग्रामीण विकास विभाग के बीच लाभार्थियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एमआईएस लिंकेज किया जाएगा। लाभार्थियों की अंतिम सूची को सीएसएमसी द्वारा स्वीकृति के लिए भेजने से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/षहरी स्थानीय निकायों द्वारा उसकी जांच और सत्यापन किया जाएगा।

सभी पात्र लाभार्थियों (परिवार के सदस्यों सहित) के पास लाभार्थियों के विवरण से जुड़ी आधार/वर्चुअल आधार आईडी होनी चाहिए। यदि किसी पात्र लाभार्थी के पास आधार कार्ड/ वर्चुअल आधार आईडी नहीं है, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिष्चित करना होगा कि ऐसे लाभार्थी का आधार/वर्चुअल आधार आईडी के लिए नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

लाभार्थियों के चयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला/षहरी स्थानीय निकाय स्तर की समिति जिम्मेदार होगी। भारत सरकार इस समिति में दो गैर–सरकारी/जन प्रतिनिधियों को नामित कर सकती है।

PMAY-U 2.0 MIS

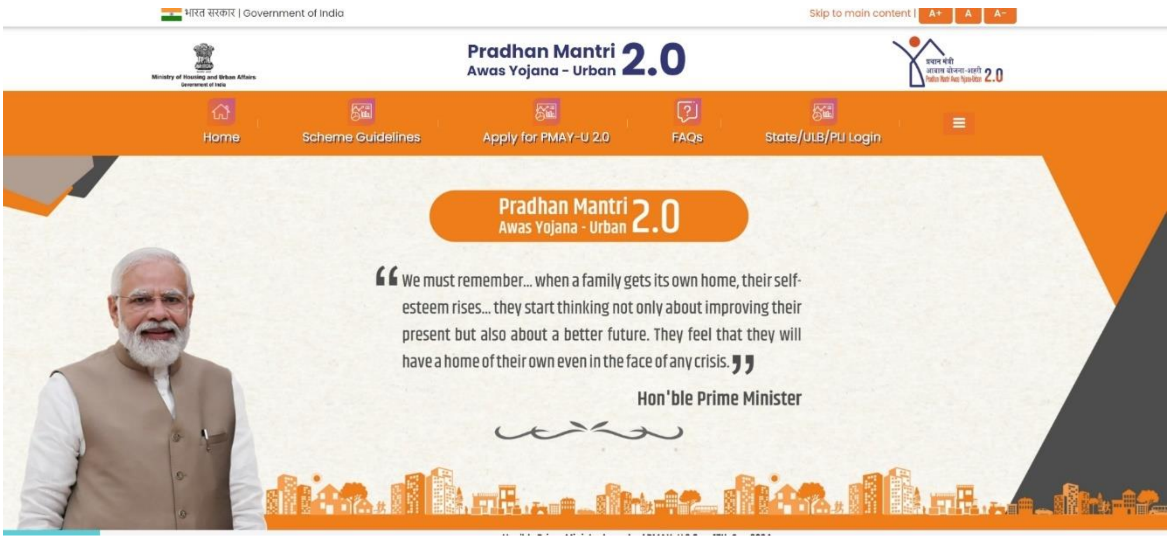

नगरीय मामलों और आवास मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना- नगरीय 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को 5 वर्षों में 1 सितंबर 2024 से शहरी क्षेत्रों में किफायती मूल्य पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों (UTs)/पीएलआई के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

PMAY-U 2.0 वेबसाइट को राष्ट्रीय, राज्य और ULB स्तर पर हितधारकों के बीच रिकॉर्ड रखने, दस्तावेजीकरण और ज्ञान साझा करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें राज्य/संघ शासित प्रदेश/ULBs/पारास्टैटल्स और अन्य सार्वजनिक/निजी कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं।

PMAY-U 2.0 MIS वेबसाइट को इस URL पर एक्सेस किया जा सकता है - https://pmaymis.gov.in/pmaymis2_2024/pmaydefault.aspx।

यूज़र इस वेबसाइट पर प्रधानमंत्री आवास योजना- नगरीय 2.0 मिशन, परिचालन दिशा-निर्देश, एक नज़र में प्रगति, चार वर्टिकल्स [लाभार्थी नेतृत्व वाली निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किरायेदार आवास (ARH) और

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)] से संबंधित विवरण, FAQs, योजना पर नवीनतम अपडेट्स और मीडिया कवरेज के साथ-साथ इवेंट गैलरी में फोटो और वीडियो पा सकते हैं।

PMAY-U 2.0 वेबसाइट में एक समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) है, जो हितधारकों, जिसमें MoHUA, राज्य, UTs, ULBs और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं, के लिए यूज़र लॉगिन की सुविधा प्रदान करती है।

आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: इच्छुक उपयोगकर्ता PMAY (U) वेबसाइट से PMAY-U 2.0 वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ, वे "**Apply for PMAY-U 2.0**" पर क्लिक करें।

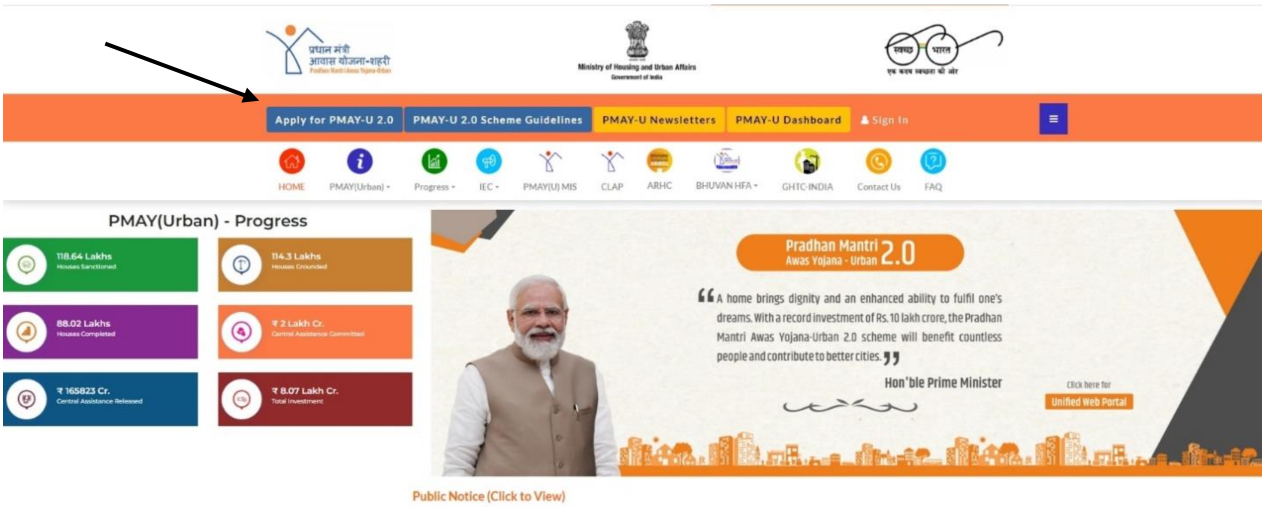

सिस्टम उन्हें आधिकारिक PMAY-U 2.0 MIS वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। वेबसाइट पर योजना के बारे में आवश्यक जानकारी दिखाई जाएगी। पंजीकरण करने के लिए, उपयोगकर्ता "**Apply for PMAY-U 2.0**" पर क्लिक करें।

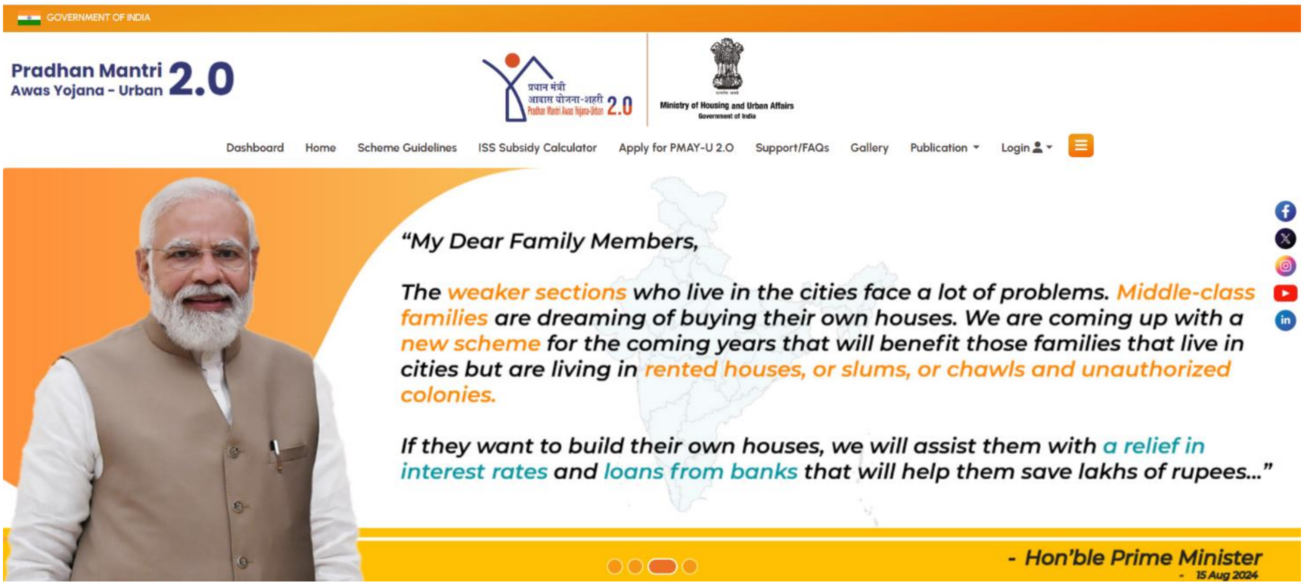

चरण 2: उपयोगकर्ताओं को योजना के चार वर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ने और समझने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वे उस वर्टिकल का चयन करें, जिसके लिए उन्हें लाभ प्राप्त करना है।

INSTRUCTIONS FOR THE USER

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) Scheme is aimed to provide all-weather pucca houses to all eligible urban households across the country with the vision of 'Housing for All'. Ministry of Housing and Urban Affairs implements the scheme to provide financial assistance to eligible families in urban areas through the following four verticals:

- **Beneficiary Led Construction (BLC):** The BLC vertical of the scheme shall provide financial assistance **upto ₹2.5 lakh** to individual eligible families belonging to EWS categories having annual income **upto ₹3 lakh**, to construct new pucca houses upto 45 sqm (an all-weather dwelling unit) on their own available land.
- **Affordable Housing in Partnership (AHP):** Affordable Housing in Partnership (AHP) vertical shall provide financial Assistance to EWS beneficiaries for owning a pucca house. Under this vertical affordable houses of **30-45 sqm** carpet area will be constructed by Public/Private Agencies and made available for allotment to the eligible beneficiaries of EWS category. Financial assistance of **upto ₹2.5 lakh** per EWS (annual income upto ₹3 lakh) flat is provided together by Central and State agencies on the purchase price of the property to the EWS beneficiary in AHP projects.
- **Affordable Rental Housing (ARH):** This vertical shall ensure affordable and hygienic living spaces for urban dwellers who do not want to own a house but require housing on short term basis or those who do not have the financial capability to construct or buy a house. ARH will promote creation of adequate rental housing for EWS/LIG beneficiaries including urban migrants/homeless/destitute/industrial workers/working women/construction workers, urban poor (street vendors, rickshaw pullers, other service providers etc.), migrants working with market/trade associations, educational/health institutions, hospitality sector, /contractual employees/ amongst others. The State/UT Governments shall ensure that necessary civic/social infrastructure gaps like water, sewer/ septage, sanitation, internal road, community centre, health centre, creche etc. along with desired neighbourhood commercial facilities within the campus as per the requirement are addressed to make these houses liveable. EWS and LIG beneficiaries having annual income of ₹3 lakh and ₹6 lakh respectively can avail of this facility.
- **Interest Subsidy Scheme (ISS):** Under the Interest Subsidy Scheme (ISS) vertical of PMAY-U 2.0, the subsidy will be provided on home loans sanctioned and disbursed on **01.09.2024** or after to eligible beneficiaries of EWS/LIG and MIG for purchase/ repurchase/construction of houses. Households belonging to **EWS, LIG and MIG** category with an annual income of up to **₹3 lakh, ₹6 lakh and ₹9 lakh,** respectively will be eligible to avail the benefit of the Scheme. For identification as an EWS/LIG/MIG beneficiary under the Scheme, an individual loan applicant will submit a proof of income.

Note:
The citizen is required to carefully read and understand the above details before applying for the benefit in any one of the four verticals of PMAY-U 2.0. Once a vertical is selected, then it cannot be changed at later stage. Filling up the application form shall not entitle the citizen to get benefit of PMAY-U 2.0 scheme, unless the eligibility is verified by the respective States/UTs/ULBs/CNAs/PLIs.

Click to Proceed

चरण 3: आगे बढ़ने से पहले इन दस्तावेजों की उपलब्धता को चेक करें। इसके बाद, अगले पृष्ठ पर जाने के लिए "**Proceed**" बटन पर क्लिक करें।

DOCUMENTS REQUIRED

Before submitting your demand under the PMAY-U 2.0 scheme, please ensure you have the following documents ready:

1. Applicant's Aadhaar details (Aadhaar number, name as per Aadhaar, date of birth).
2. Aadhaar details of family members (Aadhaar number, name as per Aadhaar, date of birth).
3. Active bank account details of the applicant (account number, bank name, branch, IFSC code) linked with Aadhaar.
4. Income proof certificate
5. Caste certificate (In case of SC, ST or OBC).
6. Land document (In case of BLC vertical).

आवश्यक दस्तावेज़

PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:

1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
4. आय प्रमाण पत्र।
5. जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी या ओबीसी के मामले में)।
6. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)।

Proceed

PMAY-U 2.0 के लिए पात्रता

चरण 4: अगले अनुभाग में, उपयोगकर्ता को योजना के लिए पात्रता जांच से गुजरना होगा।

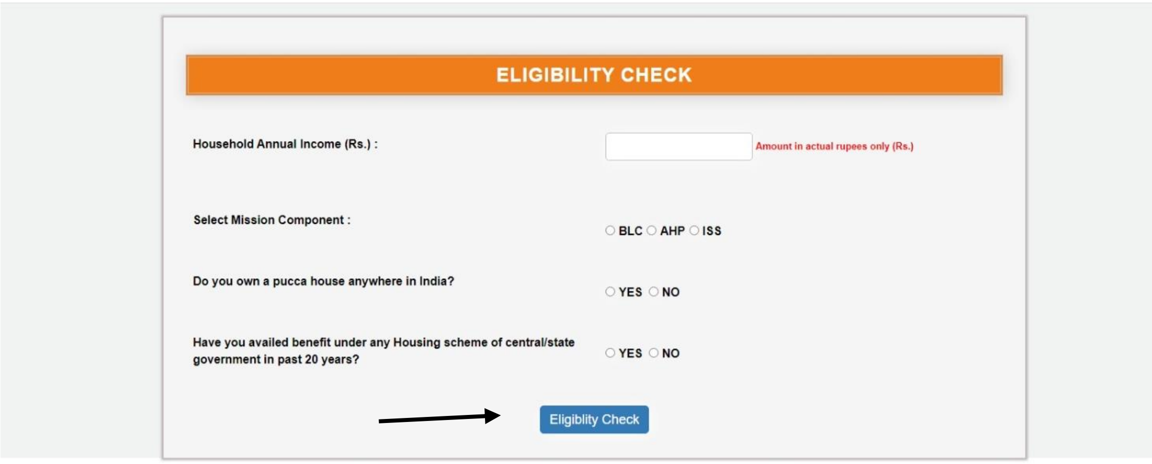

उपयोगकर्ता निम्नलिखित मामलों में योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे:

- *यदि वार्षिक घरेलू आय 3,00,000 रुपये से अधिक है (BLC और AHP के लिए) और वार्षिक घरेलू आय 9,00,000 रुपये से अधिक है (ISS के लिए)।*
- *यदि उनके पास भारत में कहीं भी एक पक्का मकान है।*
- *यदि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी भी केंद्रीय/ राज्य सरकार की आवास योजना का लाभ लिया है।*

आधार प्रमाणीकरण

चरण 5: पात्रता जांच पूरी होने के बाद, आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है। उपयोगकर्ताओं को अपने आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें और OTP उत्पन्न करें। OTP प्राप्त होने के बाद, उसे दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट करें।.

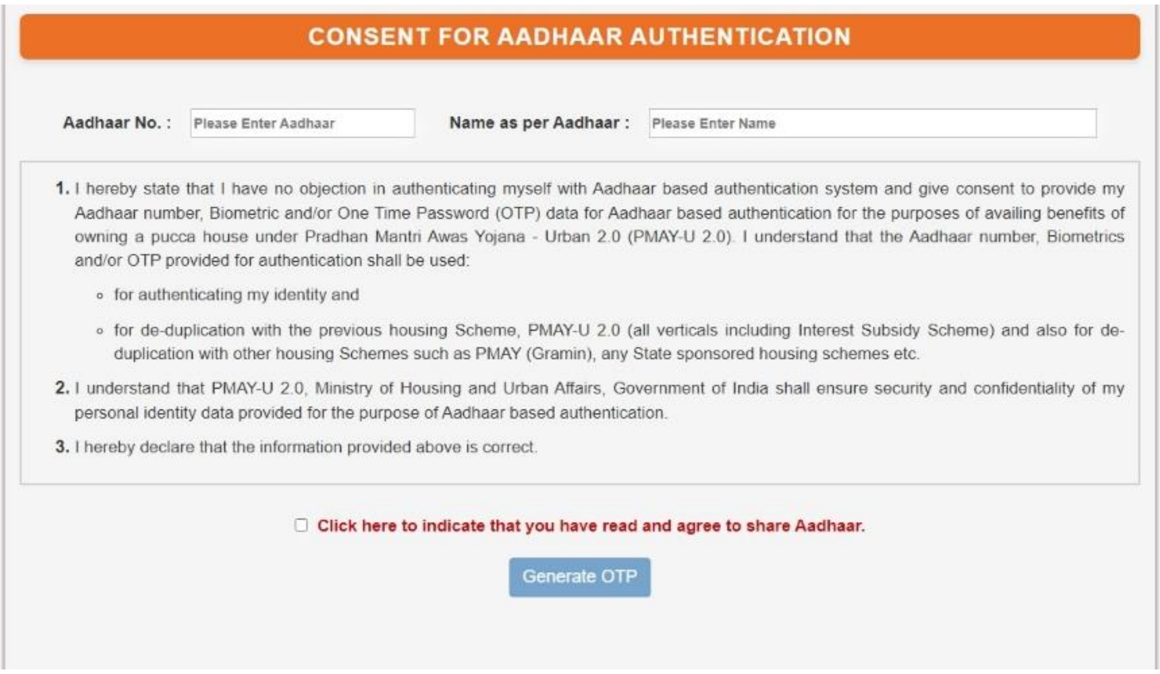

CONSENT FOR AADHAAR AUTHENTICATION

Aadhaar No. : Please Enter Aadhaar   Name as per Aadhaar : Please Enter Name

1. I hereby state that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar based authentication system and give consent to provide my Aadhaar number, Biometric and/or One Time Password (OTP) data for Aadhaar based authentication for the purposes of availing benefits of owning a pucca house under Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0). I understand that the Aadhaar number, Biometrics and/or OTP provided for authentication shall be used:
   - for authenticating my identity and
   - for de-duplication with the previous housing Scheme, PMAY-U 2.0 (all verticals including Interest Subsidy Scheme) and also for de-duplication with other housing Schemes such as PMAY (Gramin), any State sponsored housing schemes etc.
2. I understand that PMAY-U 2.0, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India shall ensure security and confidentiality of my personal identity data provided for the purpose of Aadhaar based authentication.
3. I hereby declare that the information provided above is correct.

Click here to indicate that you have read and agree to share Aadhaar.

Generate OTP

***नोटः** एक आधार संख्या का उपयोग केवल एक फॉर्म भरने के लिए किया जा सकता है।*

लाभार्थी सर्वेक्षण फॉर्म को भरना

चरण 6: उपयोगकर्ता को फिर सभी वर्गों के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण फॉर्म पर भेजा जाएगा। सर्वेक्षण फॉर्म में विभिन्न सेक्शन होते हैं।

- **व्यक्तिगत विवरण:** इस सेक्शन में उपयोगकर्ता का नाम, आधार और पसंदीदा वर्ग योजना स्वचालित रूप से भर दी जाएगी। उपयोगकर्ता को अपनी अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।

यदि-

विवाहित-स्त्री: पति के आधार विवरण अनिवार्य होंगे।

विधवा: ड्रॉपडाउन मेनू से 'स्व. पति' का चयन करें।

स्व. पिता/माता: ड्रॉपडाउन से 'स्व. पिता/माता' का चयन करें।

यदि किसी माता-पिता का आधार उपलब्ध नहीं है: ड्रॉपडाउन से 'NA' का चयन करें।

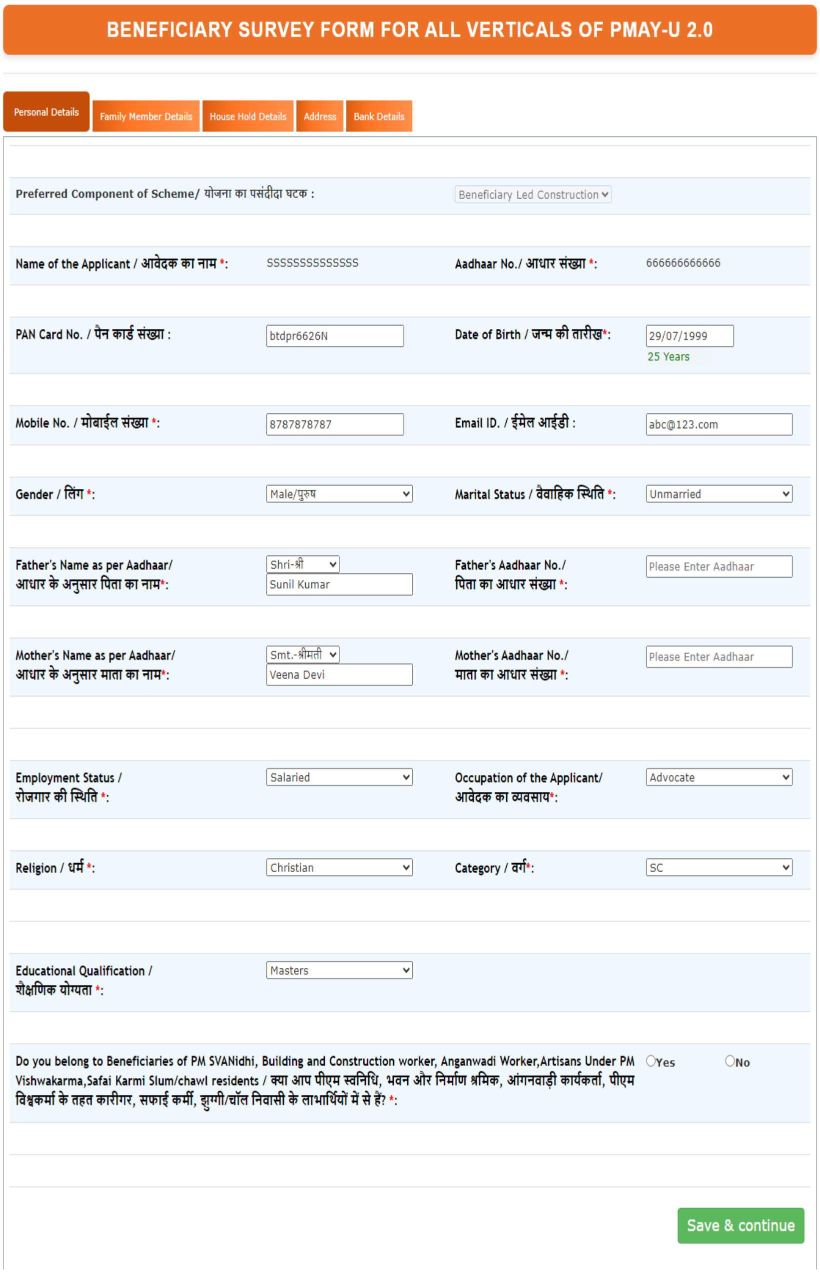

BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Bank Details

Preferred Component of Scheme/ योजना का पसंदीदा घटक : Beneficiary Led Construction

Name of the Applicant / आवेदक का नाम *:	SSSSSSSSSSSSSS	Aadhaar No./ आधार संख्या *:	666666666666
PAN Card No. / पैन कार्ड संख्या :	btdpr6626N	Date of Birth / जन्म की तारीख*:	29/07/1999 25 Years
Mobile No. / मोबाईल संख्या *:	8787878787	Email ID. / ईमेल आईडी :	abc@123.com
Gender / लिंग *:	Male/पुरुष	Marital Status / वैवाहिक स्थिति *:	Unmarried
Father's Name as per Aadhaar/ आधार के अनुसार पिता का नाम*:	Shri-श्री Sunil Kumar	Father's Aadhaar No./ पिता का आधार संख्या *:	Please Enter Aadhaar
Mother's Name as per Aadhaar/ आधार के अनुसार माता का नाम*:	Smt.-श्रीमती Veena Devi	Mother's Aadhaar No./ माता का आधार संख्या *:	Please Enter Aadhaar
Employment Status / रोजगार की स्थिति *:	Salaried	Occupation of the Applicant/ आवेदक का व्यवसाय*:	Advocate
Religion / धर्म *:	Christian	Category / वर्ग*:	SC
Educational Qualification / शैक्षणिक योग्यता *:	Masters		

Do you belong to Beneficiaries of PM SVANidhi, Building and Construction worker, Anganwadi Worker,Artisans Under PM Vishwakarma,Safai Karmi Slum/chawl residents / क्या आप पीएम स्वनिधि, भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी/चॉल निवासी के लाभार्थियों में से हैं? *: ○Yes ○No

Save & continue

वे उपयोगकर्ता जो **विशेष फोकस समूहों** (सफाई कर्मी, झुग्गी/चाल निवासी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) से संबंधित हैं या पीएम स्वनिधि, निर्माण श्रमिक आदि के लाभार्थी हैं, उन्हें चेकबॉक्स पर क्लिक करके और आवश्यकतानुसार ID विवरण प्रदान करके इसे स्पष्ट करना होगा।

"PMAY-U 2.0 का उद्देश्य विशेष समूहों जैसे कि सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि लाभार्थी, प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न शिल्पकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गी निवासी/ चालवासी आदि पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनकर्ता अपनी श्रेणी ड्रॉपडाउन से चुन सकते हैं। अल्पसंख्यक - एससी/ एसटी/OBC के मामले में, आवेदनकर्ता को अपना जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।"

- ## परिवार सदस्य विवरण

सिस्टम व्यक्तिगत विवरण में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर परिवार सदस्य विवरण स्वचालित रूप से भर देगा। उपयोगकर्ता इन विवरणों की समीक्षा कर सकते हैं, संपादन कर सकते हैं, या आवश्यकतानुसार अन्य परिवार सदस्यों की जानकारी जोड़ सकते हैं।

यदि विवाहिता- पुरुष हैं, तो इस सेक्शन में पत्नी का विवरण प्रदान करें।.

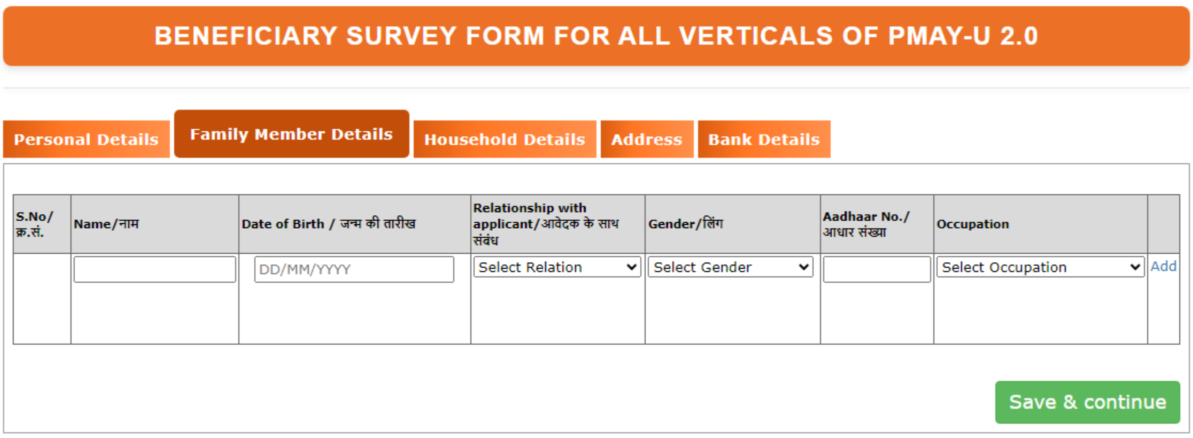
BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | Household Details | Address | Bank Details

S.No/ क्र.सं.	Name/नाम	Date of Birth / जन्म की तारीख	Relationship with applicant/आवेदक के साथ संबंध	Gender/लिंग	Aadhaar No./ आधार संख्या	Occupation	
		DD/MM/YYYY	Select Relation	Select Gender		Select Occupation	Add

Save & continue

- **घर का विवरण**

  सिस्टम स्वचालित रूप से घर की श्रेणी, पक्के घर का स्वामित्व विवरण और औसत वार्षिक घरेलू आय भर देगा। उपयोगकर्ताओं को आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, शहर/नगर में रहने के वर्षों का चयन करना होगा, और घर के स्वामित्व विवरण भरना होगा, जैसे कि स्वामित्व/किराए पर/कोई घर नहीं। फिर घर के प्रकार का उल्लेख करें- कच्चा/सेमी-पक्का/पक्का; फिर ड्रॉपडाउन से छत के प्रकार का चयन करें।.

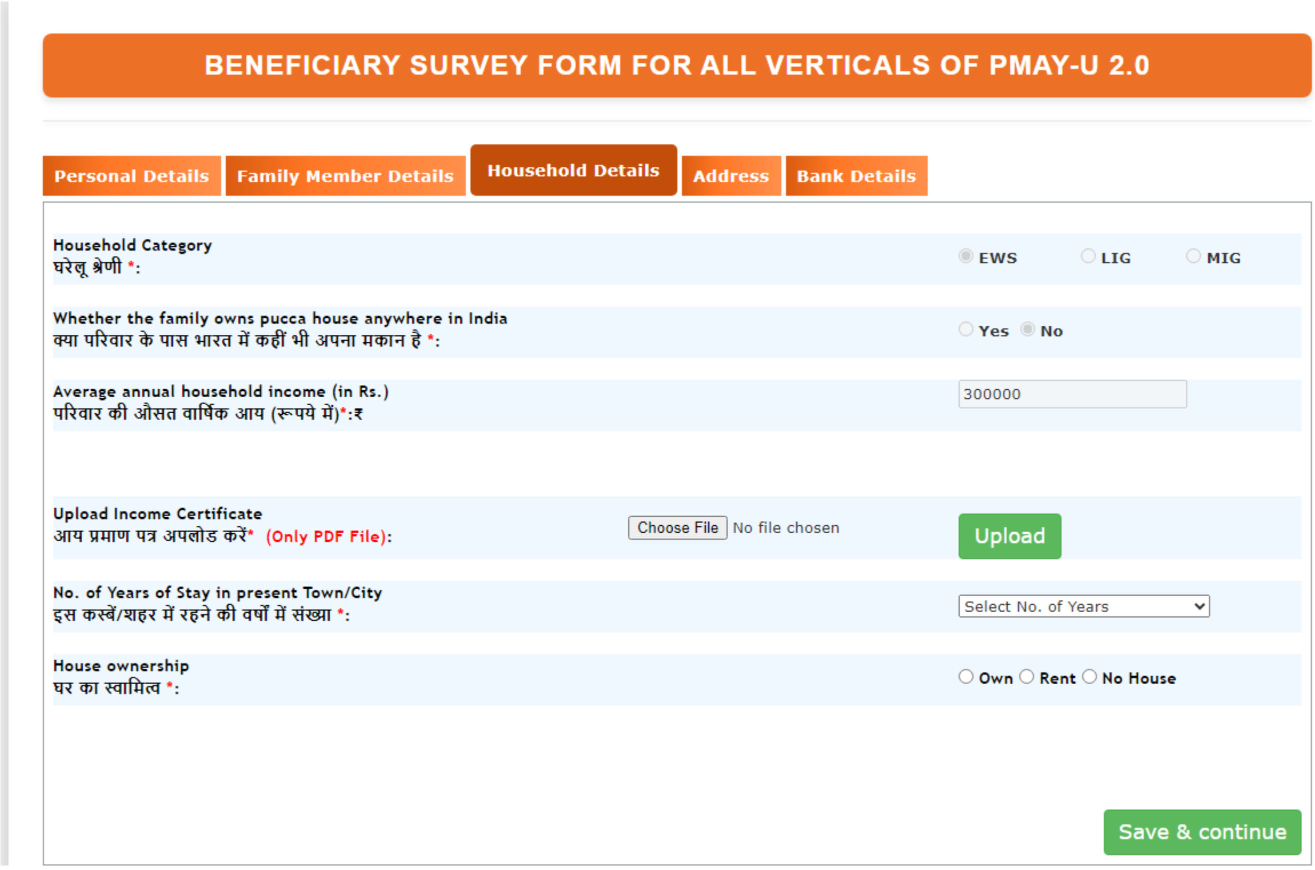

BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | Household Details | Address | Bank Details

Household Category
घरेलू श्रेणी *: EWS LIG MIG

Whether the family owns pucca house anywhere in India
क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है *: Yes No

Average annual household income (in Rs.)
परिवार की औसत वार्षिक आय (रूपये में)*:₹ 300000

Upload Income Certificate
आय प्रमाण पत्र अपलोड करें* (Only PDF File): Choose File No file chosen Upload

No. of Years of Stay in present Town/City
इस कस्बें/शहर में रहने की वर्षों में संख्या *: Select No. of Years

House ownership
घर का स्वामित्व *: Own Rent No House

Save & continue

- **पता**

  उपयोगकर्ताओं को अपना वर्तमान पता, स्थायी पता और निर्माण स्थल का पता भरना होगा।

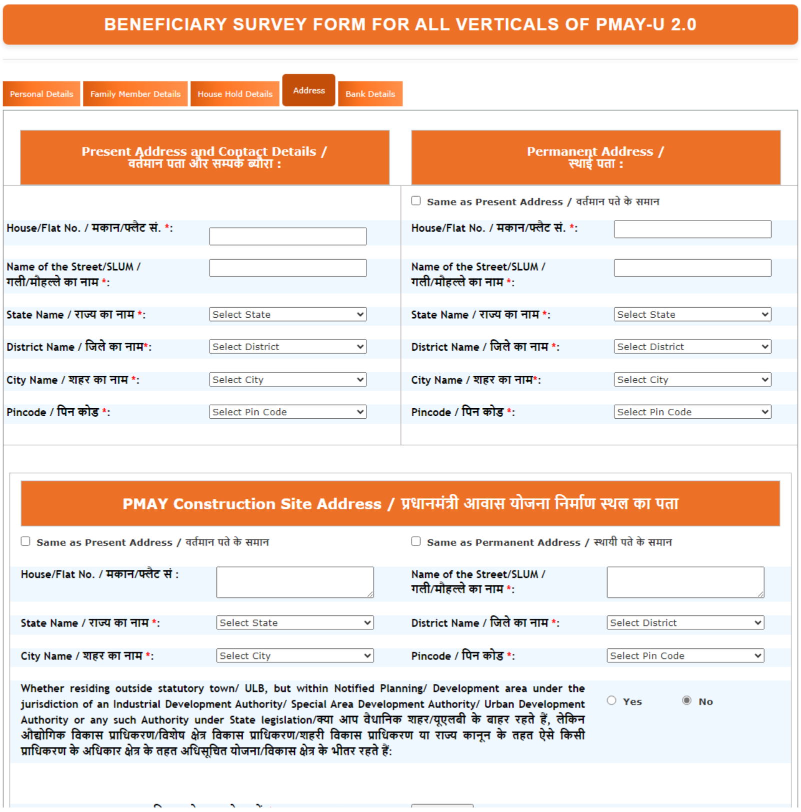
BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Bank Details

Present Address and Contact Details / वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा :

House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं. *:

Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:

State Name / राज्य का नाम *: Select State

District Name / जिले का नाम*: Select District

City Name / शहर का नाम *: Select City

Pincode / पिन कोड *: Select Pin Code

Permanent Address / स्थाई पता :

Same as Present Address / वर्तमान पते के समान

House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं. *:

Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:

State Name / राज्य का नाम *: Select State

District Name / जिले का नाम *: Select District

City Name / शहर का नाम*: Select City

Pincode / पिन कोड *: Select Pin Code

PMAY Construction Site Address / प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता

Same as Present Address / वर्तमान पते के समान

Same as Permanent Address / स्थायी पते के समान

House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं :

Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:

State Name / राज्य का नाम *: Select State

District Name / जिले का नाम *: Select District

City Name / शहर का नाम *: Select City

Pincode / पिन कोड *: Select Pin Code

Whether residing outside statutory town/ ULB, but within Notified Planning/ Development area under the jurisdiction of an Industrial Development Authority/ Special Area Development Authority/ Urban Development Authority or any such Authority under State legislation/क्या आप वैधानिक शहर/यूएलबी के बाहर रहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं: Yes No

- **बैंक विवरण**

  उपयोगकर्ताओं को अपना बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज करना होगा ताकि बैंक विवरण उत्पन्न हो सकें। एक बार बैंक विवरण उत्पन्न हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता को आगे बढ़ने से पहले इसे सत्यापित करना होगा।

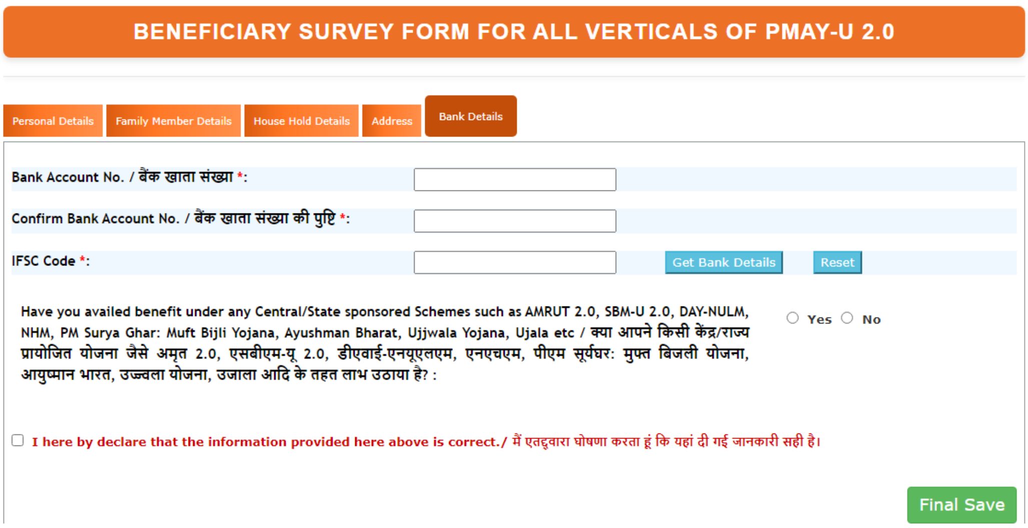
BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Bank Details

Bank Account No. / बैंक खाता संख्या *:

Confirm Bank Account No. / बैंक खाता संख्या की पुष्टि *:

IFSC Code *: Get Bank Details | Reset

Have you availed benefit under any Central/State sponsored Schemes such as AMRUT 2.0, SBM-U 2.0, DAY-NULM, NHM, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, Ayushman Bharat, Ujjwala Yojana, Ujala etc / क्या आपने किसी केंद्र/राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, एसबीएम-यू 2.0, डीएवाई-एनयूएलएम, एनएचएम, पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है? : Yes No

I here by declare that the information provided here above is correct./ मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी सही है।

Final Save

- **राज्य प्रायोजित योजना विवरण"**

"प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) विभिन्न पहलों के साथ संरेखित होगी, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U 2.0), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, और अन्य, साथ ही संबंधित राज्य योजनाएं। इस एकजुटता से संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय और राज्य निधियों के अतिरिक्त, जैसे निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष और जिला खनिज कोष से योगदान लिया जा सकता है, जिसे विशिष्ट लाभार्थी समूहों को प्रदान किए गए आवासों के लिए उपयोग किया जा सकता है।"

जो उपयोगकर्ता किसी केंद्रीय या राज्य प्रायोजित योजना जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आदि का लाभ उठा चुके हैं, जैसा कि फॉर्म में सूचीबद्ध है, उन्हें फॉर्म भरते समय योजना का चयन करना होगा।

Have you availed benefit under any Central/State sponsored Schemes such as AMRUT 2.0, SBM-U 2.0, DAY-NULM, NHM, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, Ayushman Bharat, Ujjwala Yojana, Ujala etc / क्या आपने किसी केंद्र/ राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, एसबीएम-यू 2.0, डीएवाई-एनयूएलएम, एनएचएम, पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है? : ◉ Yes ○ No

Select Schemes/ योजनाएं चुनें :

☐ Nation Health Mission(NHM)	☐ Ayushman Bharat	☐ Swatchh Bharat Mission Urban(SBM-U) 2.0	☐ Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)
☐ PM Surya Ghar:Muft Bijli Yojana	☐ Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)	☐ Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (Ujala)	☐ Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation(AMRUT)

☐ I here by declare that the information provided here above is correct./ मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी सही है।

Final Save

लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)

- **पता**

परियोजनाओं के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपना वर्तमान पता, स्थायी पता, PMAY निर्माण स्थल का पता और संपर्क विवरण भरना होगा।

नोट: परियोजनाओं के लिए भूमि दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है।

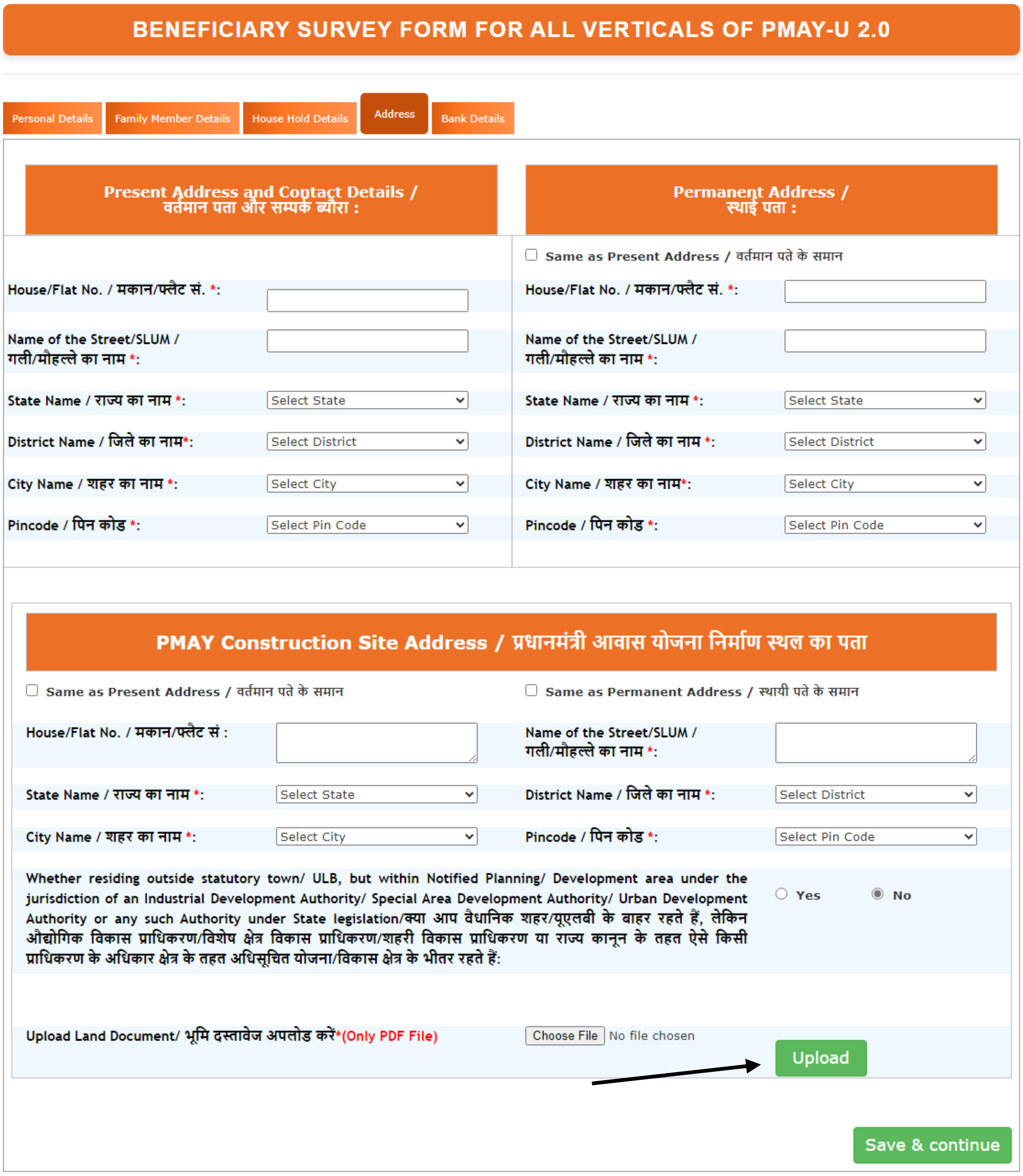
BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Bank Details

Present Address and Contact Details / वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा :

House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं. *:
Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:
State Name / राज्य का नाम *: Select State
District Name / जिले का नाम*: Select District
City Name / शहर का नाम *: Select City
Pincode / पिन कोड *: Select Pin Code

Permanent Address / स्थाई पता :

Same as Present Address / वर्तमान पते के समान
House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं. *:
Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:
State Name / राज्य का नाम *: Select State
District Name / जिले का नाम *: Select District
City Name / शहर का नाम*: Select City
Pincode / पिन कोड *: Select Pin Code

PMAY Construction Site Address / प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता

Same as Present Address / वर्तमान पते के समान
Same as Permanent Address / स्थायी पते के समान
House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं :
Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:
State Name / राज्य का नाम *: Select State
District Name / जिले का नाम *: Select District
City Name / शहर का नाम *: Select City
Pincode / पिन कोड *: Select Pin Code

Whether residing outside statutory town/ ULB, but within Notified Planning/ Development area under the jurisdiction of an Industrial Development Authority/ Special Area Development Authority/ Urban Development Authority or any such Authority under State legislation/क्या आप वैधानिक शहर/यूएलबी के बाहर रहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं: Yes No

Upload Land Document/ भूमि दस्तावेज अपलोड करें*(Only PDF File) Choose File No file chosen
Upload

Save & continue

भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)

- **पता**

उपयोगकर्ताओं को अपना वर्तमान पता/स्थायी पता और AHP परियोजना स्थान विवरण भरना होगा, जिसमें राज्य, जिला और शहर की जानकारी देनी होगी। उन्हें यह उल्लेख करना होगा कि क्या वे किसी AHP परियोजना के तहत पहचाने गए हैं और उसके लिए परियोजना विवरण देना होगा।

BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Bank Details

Present Address and Contact Details / वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा :		Permanent Address / स्थाई पता :	
		☐ Same as Present Address / वर्तमान पते के समान	
House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं. *:		House/Flat No. / मकान/फ्लैट सं. *:	
Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:		Name of the Street/SLUM / गली/मोहल्ले का नाम *:	
State Name / राज्य का नाम *:	Select State	State Name / राज्य का नाम *:	Select State
District Name / जिले का नाम*:	Select District	District Name / जिले का नाम *:	Select District
City Name / शहर का नाम *:	Select City	City Name / शहर का नाम*:	Select City
Pincode / पिन कोड *:	Select Pin Code	Pincode / पिन कोड *:	Select Pin Code

AHP Project Location Details / एएचपी परियोजना स्थान विवरण

State Name / राज्य का नाम *:	Select State	District Name / जिले का नाम *:	Select District
City Name / शहर का नाम *:	Select City		

Have you Identified any AHP Project / क्या आपने किसी एएचपी परियोजना की पहचान की है?*: ○Yes ◉No

Whether residing outside statutory town/ ULB, but within Notified Planning/ Development area under the jurisdiction of an Industrial Development Authority/ Special Area Development Authority/ Urban Development Authority or any such Authority under State legislation/क्या आप वैधानिक शहर/यूएलबी के बाहर रहते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं: ○ Yes ◉ No

Save & continue

ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

- **होम लोन विवरण**

उपयोगकर्ताओं को होम लोन विवरण प्रदान करना आवश्यक है। यदि उपयोगकर्ता ने पहले ही होम लोन लिया है, तो "हां" चुनें और आवश्यक विवरण भरें।

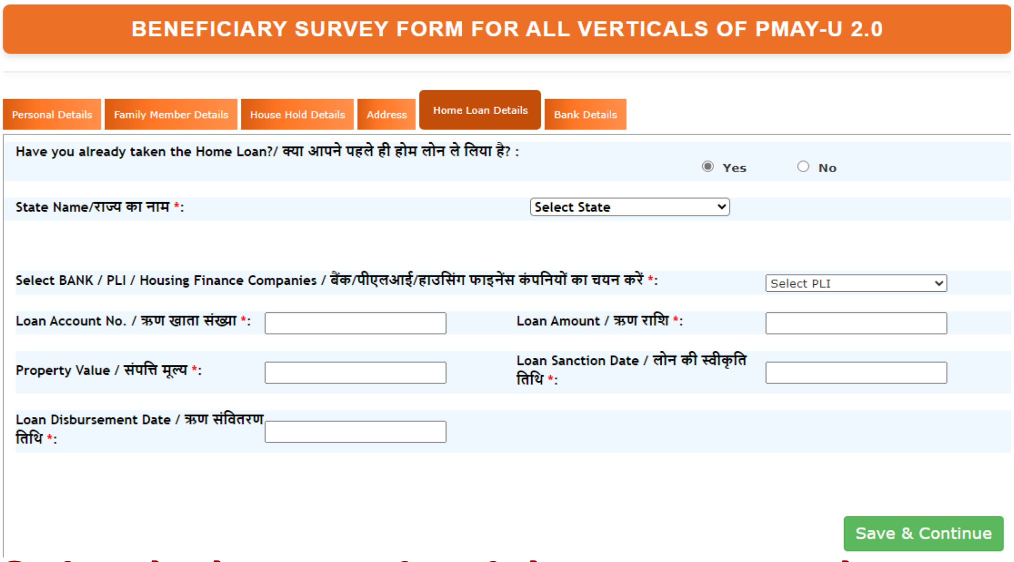
BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Home Loan Details | Bank Details

Have you already taken the Home Loan?/ क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है? : ◉ Yes ○ No

State Name/राज्य का नाम *: Select State

Select BANK / PLI / Housing Finance Companies / बैंक/पीएलआई/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का चयन करें *: Select PLI

Loan Account No. / ऋण खाता संख्या *:

Loan Amount / ऋण राशि *:

Property Value / संपत्ति मूल्य *:

Loan Sanction Date / लोन की स्वीकृति तिथि *:

Loan Disbursement Date / ऋण संवितरण तिथि *:

Save & Continue

***नोट**: सब्सिडी उन होम लोन पर प्रदान की जाएगी जो **01.09.2024** या इसके बाद पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत और वितरित किए गए हैं।*

यदि उपयोगकर्ता ने अभी तक होम लोन नहीं लिया है, तो "नहीं" चुनें, राज्य का चयन करें, और पांच विभिन्न पीएलआई (पब्लिक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन्स) का चयन करें जिनसे आप लोन लेना चाहते हैं। फिर "सहेजें और जारी रखें" पर क्लिक करें।

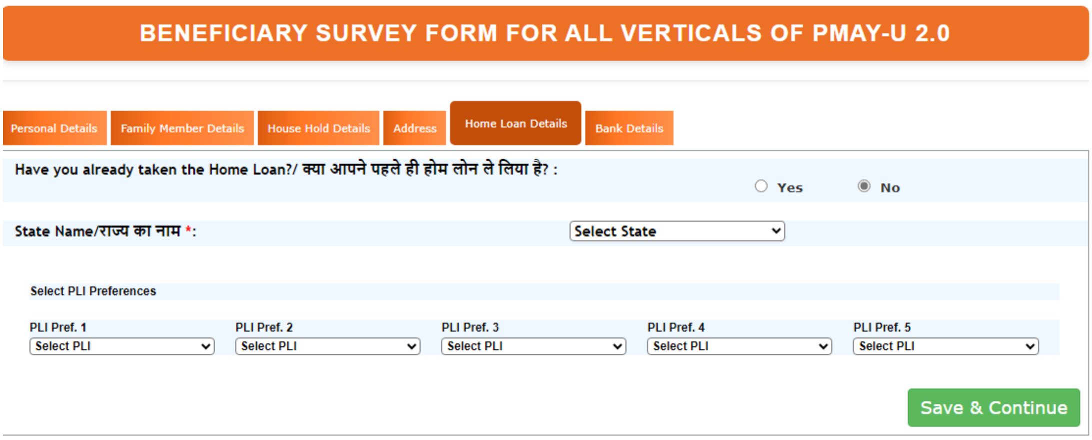
BENEFICIARY SURVEY FORM FOR ALL VERTICALS OF PMAY-U 2.0

Personal Details | Family Member Details | House Hold Details | Address | Home Loan Details | Bank Details

Have you already taken the Home Loan?/ क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है? : ○ Yes ◉ No

State Name/राज्य का नाम *: Select State

Select PLI Preferences

PLI Pref. 1	PLI Pref. 2	PLI Pref. 3	PLI Pref. 4	PLI Pref. 5
Select PLI	Select PLI	Select PLI	Select PLI	Select PLI

Save & Continue

सर्वे फॉर्म सबमिट करना

चरण 8: अंतिम पृष्ठ पर, प्रदान की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने के लिए स्वीकृति बॉक्स पर टिक करें और फॉर्म सबमिट करने के लिए "**फाइनल सेव**" बटन पर क्लिक करें।.

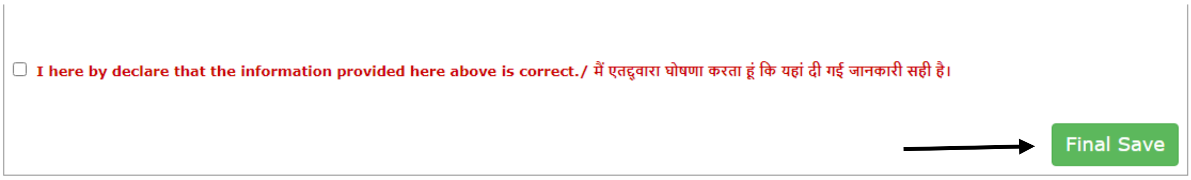

चरण 9: "**फाइनल सेव**" बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदन फॉर्म सबमिशन पूर्ण हो जाएगा। उपयोगकर्ता अपने आवेदन का PDF सहेजने या प्रिंट करने के लिए "**प्रिंट**" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

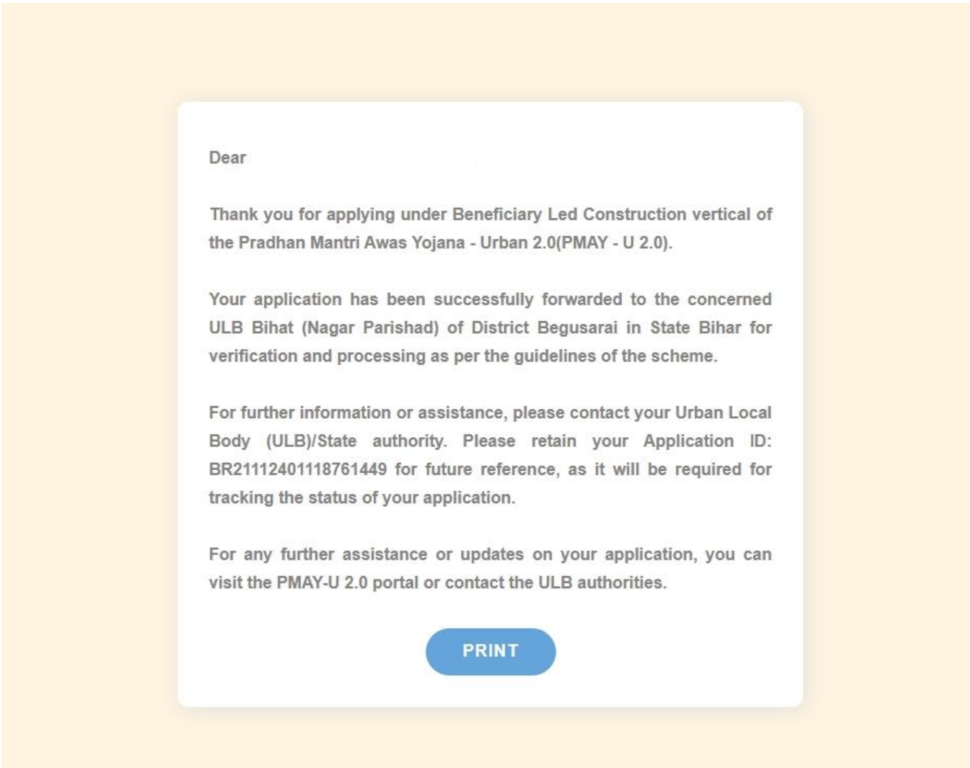

एप्लिकेंट लॉगिन

यह अनुभाग आवेदकों को उनके आधार संख्या का उपयोग करके आवेदक पोर्टल में लॉगिन करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(i) लॉगिन पर क्लिक करें

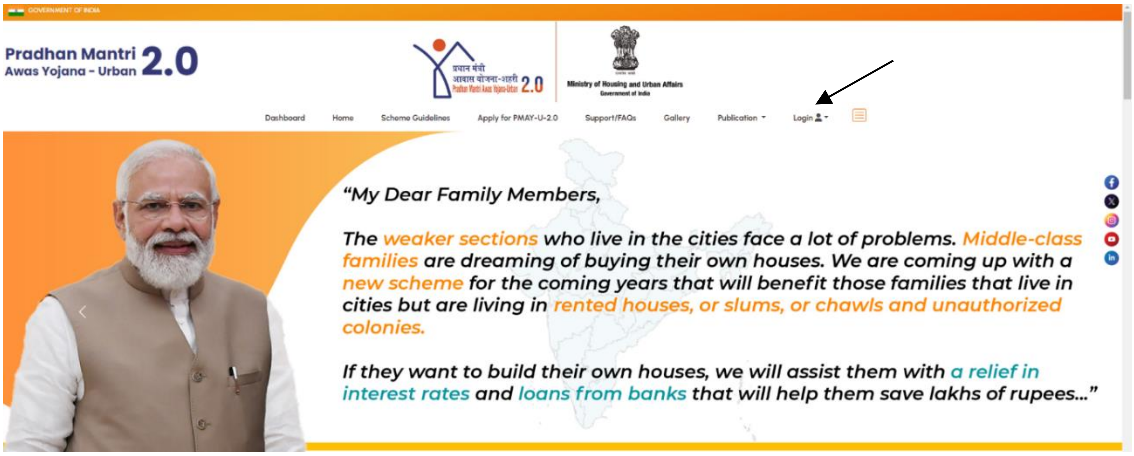

(ii) एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करें

(iii) सिस्टम आवेदक को पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पृष्ठ प्रदर्शित करेगा।

- आधार नंबर दर्ज करें
- आधार नंबर के अनुसार नाम
-

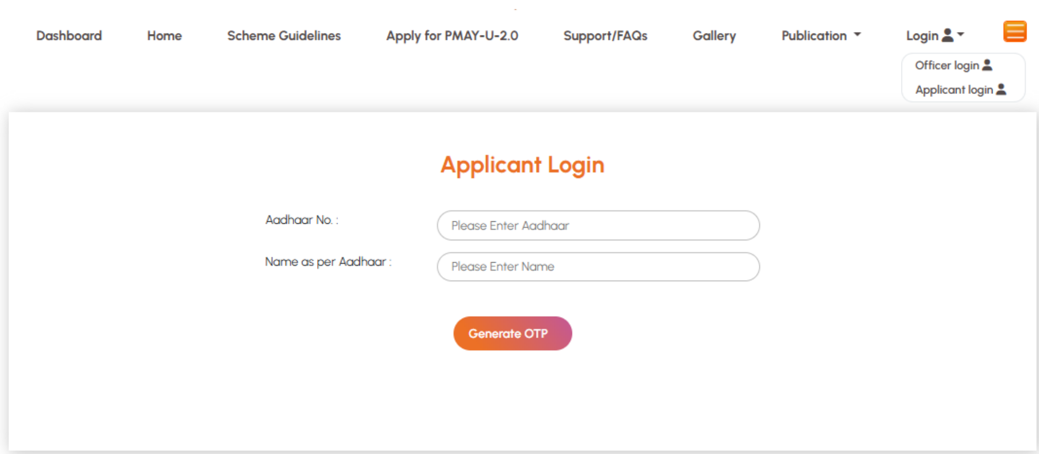

- ओटीपी उत्पन्न करने के लिए क्लिक करें “Generate OTP”
- ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

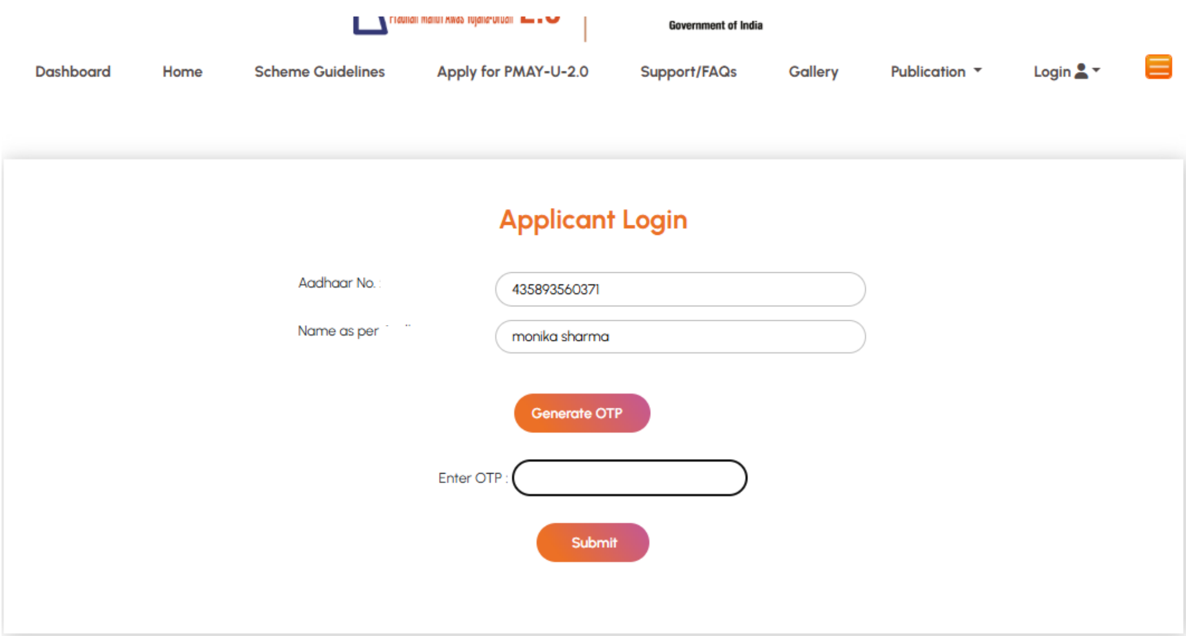

- सिस्टम उस आवेदन को प्रदर्शित करेगा जो उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट किया गया है।
- “Action” के तहत लाल "Withdraw" बटन पर क्लिक करें।
- आपका आवेदन वापस ले लिया जाएगा।

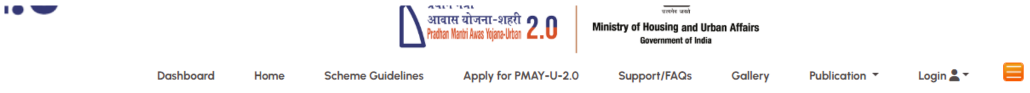

Application Status

S.No	Application No	Name	Date of Birth	Gender	Father Name	Mother Name	Vertical	Mobile Number	Application Submission Date	Application Status	Action
1	OD033501224150009930	monika sharma	21/12/1994	Female			BLC	8920654089	27/12/2024	Application Submitted	Withdraw